तारीख हुक्म

## हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज

**झमकु बनाम भगवानाराम वगैरह, मु. न. :–215/2014**

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये

06.05.2024

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सरनाउ व बलाना में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि आई हुई है, जो बात–दादों की थी, जिस पर उताराधिकारी के रूप में समान हक है। मौज अरणाय में संयुक्त खातेदारी खेत के खसरा संख्या 661, 664, 665, 666, 667, 668 रकबा क्रमशः 0.01 है, 5.22 है, 0.01 है, 0.01 है, 0.6 है, 5.48 है जूमले रकबा 10.79 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 79, 80, 81, 82 रकबा 0.01 है, 0.05 है, 3.84 है, 3.84 है. जूमले रकबा 7.74 हैक्टेयर आये हुए है इसी प्रकार मौजा बलाना के खसरा संख्या 196, 197 रकबा क्रमशः 0.37 हैक्टेयर, 0.90 है, जूमले रकबा 1.27 है, खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है, जिसमें मौजा अरणाय के खसरा संख्या 662, 663 जूमले रकबा 0.33 हैक्टेयर वरिंगा के उतराधिकारियों का ही नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के पिता वरिंगा व भाखरा के बीच बंटवाड़ा करीब 25–30 वर्ष पूर्व हो गया था, समान भूमि बंटवाड़ा में आई तथा समान रूप से भूमि पर कब्जा करवा दिया, उनके फौत पश्चात उतराधिकारीयों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गये, परन्तु राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती होने से प्रार्थीया को अपने हक से वंचित रखने हेतु कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दखलंदाजी करते रहते है। प्रार्थीया को अपने कब्जे काश्त की भूमि में से हटाने हेतु दखलंदाजी करते है तथा मौके पर कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंटवाड़े से मुकर गये है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तथा वरींगा के फौत होने पर प्रार्थीया वरींगा की जायंदा पुत्री होने से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो चुका है, बावजूद इसके प्रार्थीया को अपने हिस्से तथा कब्जा काश्त की भूमि में से निकालने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दखलंदाजी करते रहते है ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तम्भ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सगे भाई बहिन है मौजा अरणाय व बलाना में खातेदारी स्थित है मौजा अरणाय के खसरा संख्या 661, 664, 665, 666, 667, 668 जूमले रकबा 10.79 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 का है, प्रार्थीया ने अपना हक–हकूक व अधिकार अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष में हकतर्क किये काफी समय हो चुका है तथा मौजा बलाना की खातेदारी में भी अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 का ही कब्जा काश्त है प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीया वरींगा की पुत्री होने से राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज है परन्तु उक्त खसरा नम्बरान् पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीया ने गलत दावा पेश किया है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व म[illegible] निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी [illegible] मौजा अरणाय के खेत खसरा संख्या 66[illegible] 79, 80, 81, 82, 662, 663 तथा मौजा [illegible] 197 में नया निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल[illegible] के साथ नत्थी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रैक सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर